

आदेश : 11/ 2021

दिनांक : 07/ 11/ 2021

30/ 08/ 2022

पत्रावली पेश हुई है। अधिवक्ता संघ द्वारा
आयुक्त को पत्रावली पेश की है।
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
09/ 08/ 2022 को पेश की जावे।

B.P.
S.P.

09/ 09/ 2022

राजनीनाग
के लिए
कोई कार्यवाही
नहीं चल रही।

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उच्च पक्ष उपस्थित।
आयुक्त व अधिवक्ता आधी के न्यायालय में उपस्थित
हैं निवेदन किया की आधी का आधीगण से राजीनामा
हो गया है अतः अब प्रकरण में कोई अग्रिम कार्यवाही
नहीं चाहते हैं जिल पर अधिवक्ता आधीगण के भी
सहमति व्यक्त की है प्रायः धारा - 251 के वर्णित लोगों
का आवेदन किया तथा आधी के निवेदन पर भंग
किया। आधी द्वारा प्रकरण के चल रहे हैं अतः कार्यवाही
नहीं चाहते हैं प्रायः धारा - 251 में कोई कार्यवाही अब
निश्चित नहीं रहती है अतः प्रायः धारा - 251 के
वर्ती स्तर पर विज्ञापन में बारीक किया जाता है पत्रावली
केवल शुभारंभ के क्रम में ही की जाकर शामिल
करता है।

उपखंड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)